न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 171/2018

1. मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 8, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रेस्टीज टॉवर, ई–1, थर्ड फ्लोर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम अमित भारद्वाज।

प्रार्थी

बनाम

1. शिवलहरी मीणा पुत्र श्री लीलाराम मीणा निवासी 1147, प्रेमनगर, भांकरी रोड जिला दौसा राजस्थान।
2. गुड्डी देवी पत्नी शिवलहरी मीणा निवासी 1147, प्रेमनगर भांकरी रोड जिला दौसा राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री मुदित उपाध्याय,, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांक: 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री शिवलहरी मीणा पुत्र श्री लीलाराम मीणा निवासी 1147, प्रेमनगर, भांकरी रोड जिला दौसा राजस्थान व अन्य को 07,40,000/–(रूपये सात लाख चालीस हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक/कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लाट नम्बर –98, खसरा नम्बर 1147, प्रेमनगर, ग्राम दौसा खुर्द भांकरी रोड तहसील व जिला दौसा क्षेत्रफल 200 वर्गगज जो अप्रार्थी शिवलहरी मीणा पुत्र श्री लीलाराम मीणा के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैग्मा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official